30.10.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के पूर्व खातेदार मगनभाई द्वारा उसका संपूर्ण हक, हिस्सा प्रार्थी रेवतराम द्वारा पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 12.04.2023 द्वारा क्रय कर लिया गया है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 754 में प्रार्थी रेवतराम 1/2 हिस्से का सद्भाविक क्रेता है। अतः प्रार्थी को अपीलांट पक्षकार के रूप में संयोजित करावें। रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के खातेदार अपीलांट मगनभाई द्वारा बंटवाड़ा बाबत रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राथमिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिस पर वादी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति किए जाने पर आपत्ति स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव पुनः तलब किया गया, जिस पर पुनः विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2024 को अपीलाधीन अंतिम डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अपीलांट खातेदार को समस्त जानकारी के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचारण के दौरान ही अपीलांट द्वारा ही प्रार्थी को अपना 1/2 हक–हिस्सा दिनांक 12.04.2023 को हस्तांतरित किया गया। जिस संबंध में न तो न्यायालय से अनुमति ली गई। अपीलांट

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में स्वच्छ हाथों से चाराजोही नहीं की जा रही हैं। अपीलांट मगनभाई द्वारा अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही पंजीकृत विक्रय–विलेख द्वारा अपना संपूर्ण हक–हिस्सा बेचान कर दिया गया। अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार शेष नहीं रहा। अतः अपील ही पोषणीय नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर अपील अपीलांट पोषणीयता के आधार पर खारिज फरमावें। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रार्थी जीवनराम की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादस्थ खसरा संख्या 754 का दिनांक 20.02.2024 द्वारा विभाजन किए जाने से खसरा संख्या 754 मूल वादी अपीलांट मगनभाई के नाम तथा खसरा संख्या 754/1 रेस्पोंडेंट प्रतिवादी जयप्रकाश के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ। जयप्रकाश द्वारा अपना हक–हिस्सा मेहराम पुत्र पन्नाराम को दिनांक 01.03.2024 को विक्रय कर दिया गया तथा उक्त खसरा नामांतरण पश्चात खसरा संख्या 880/754 के नाम से इन्द्राज हुआ। तत्पश्चात मेहराम द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो चुका है तथा दिनांक 12.03.2024 को उक्त संपरिवर्तित भूमि अमराराम पुत्र पोकरराम निवासी डिगरना को विक्रय कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि अमराराम से दिनांक 12.04.2024 को क्रय कर ली गई एवं औद्योगिक से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हो चुकी हैं। प्रार्थी का हस्तगत अपील में हित निहित है। अतः प्रार्थी को बतौर रेस्पोंडेंट पक्षकार संयोजित फरमावें। हमारे विनम्र मत में चूंकि वादग्रस्त आराजी के बंटवाड़ा बाबत अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है तथा वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2018 को प्राथमिक डिक्री किया गया तथा दिनांक 20.02.2024 को अंतिम डिक्री किया गया। इसी दरम्यान वादी द्वारा अपना संपूर्ण 1/2 हक–हिस्सा पंजीकृत विक्रय–विलेख से दिनांक 12.04.2023 को प्रार्थी रेवतराम को विक्रय किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद विचारण के दौरान अधीनस्थ न्यायालय से अनुमति लिए बिना अपना संपूर्ण हिस्सा विक्रय किया गया तथा प्रार्थी द्वारा क्रय किया गया। इसके बावजूद वादी द्वारा न केवल अधीनस्थ न्यायालय में चाराजोही जारी रखी, बल्कि अपने पक्ष में अंतिम डिक्री भी प्राप्त की एवं उक्त अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी के विरूद्ध न्यायालय हाजा में हस्तगत अपील भी प्रस्तुत की गई एवं इस स्तर पर क्रेता द्वारा बतौर अपीलांट पक्षकार संयोजित किए जाने का अनुरोध किया गया। अर्थात स्पष्ट है कि क्रेता द्वारा यह माना गया है कि अपीलांट व उसका हित एकसमान है। वादी अपीलांट द्वारा अपना संपूर्ण हक–हिस्सा बेचान करने के बावजूद हस्तगत अपील प्रस्तुत करना एवं न्यायालय हाजा के समक्ष आधारहीन शपथपत्र प्रस्तुत करना यह स्पष्ट करता है कि अपीलांट एवं प्रार्थी क्रेता द्वारा न केवल न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही सब इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

गया, बल्कि दीगर सहखातेदार/पक्षकार को परेशान भी किया गया। वादी द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा विक्रय कर देने के पश्चात उसका अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र में कोई हित शेष नहीं रह जाता व न ही वाद अधिकार व वाद कारण शेष रहता है। ऐसी स्थिति में ऐसे वादी को अपील प्रस्तुत करने का भी कोई अधिकार शेष नहीं रह जाता है। अतः हमारे विनम्र मत में हस्तगत अपील पोषणीय ही नहीं हैं तथा अपील की ग्राह्यता व पोषणीयता सर्वप्रथम निर्णित की जाना आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र निरर्थक हो जाते हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.10.2025** को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner